413

संख्या– 812 /xxviii–4–2015–61 / 2014

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 27 जुलाई, 2015

विषयः– जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत ग्राम चलकाना में ए0एन0एम0 केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प / 1 / 102 / 2014 / 27708, दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत ग्राम चलकाना में ए0एन0एम0 केन्द्र की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर द्वारा गठित उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 28.71 लाख का वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त सिविल कार्यो हेतु रू0 27.64 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यो हेतु रू0 0.68 लाख, इस प्रकार कुल रू0 28.32 लाख (रू0 अट्ठाइस लाख, बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि औचित्य पूर्ण पायी गयी है।

अतः आगणन रू0 28.71 के सापेक्ष कुल रू0 28.32 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः – – 2

4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन(केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

8. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xlv-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

9. यदि उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी है और प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाय।

10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4211–परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा–03–उपकेन्द्रों के भवन का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–126(P)/xxvll(3) 2015-16 दिनांक 06 जुलाई 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- Allotment I.D.

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
8. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/चिकित्सा अनुभाग–5
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव